वर्ष – 1 | अंक – 9 | जुलाई 2021

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप, सबके सहयोग से रतलाम जिले का चहुँमुखी विकास किया जाएगा- प्रभारी मंत्री श्री भदोरिया

प्रथम रतलाम आगमन पर प्रभारी मंत्री का भव्य स्वागत अभिनंदन

04 जुलाई । प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री एवं रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया का रविवार को प्रथम रतलाम आगमन पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्थानीय सर्किट हाउस पर मौजूद जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुष्पहारों से प्रभारी मंत्री का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की मंशा अनुसार विकसित रतलाम बनाने के लिए सबके सहयोग से कार्य करेंगे। शासकीय योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिले। समय सीमा में लक्ष्य पूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों को समय पर बिजली मिले और समय पर ही मेंटेनेंस भी हो।

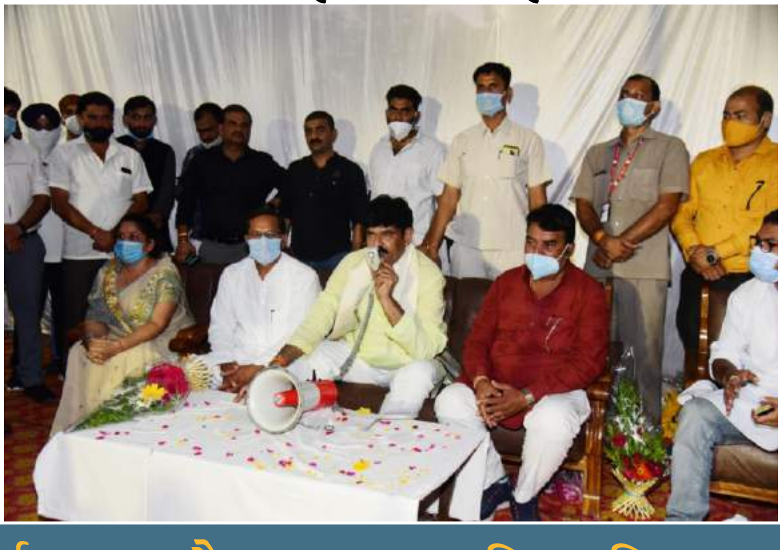

शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार ही स्थानांतरण प्रक्रिया रहेगी। दक्ष एवं योग्य अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो अधिकारी, कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विधायक श्री दिलीप मकवाना, श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, पूर्व विधायक श्रीमती संगीता चारेल, कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया आदि उपस्थित थे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

सफाई कार्य के प्रतिदिन व्हाट्स एप पर देना होंगे फोटो

03 जुलाई । नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक चुस्त बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है कि वार्डो में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यो की फोटो पृथक-पृथक शिफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप पर भेजें फोटो के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि वार्डो में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:30 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन किया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा।

इसके अलावा सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों व उद्यान विभाग के मालियों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:00 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय ०५रू३० बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

सफाई कार्य में अब दिखने लगा है सुधार
कार्य के फोटो वाट्सऐप पर डालने का हुआ असर

10 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर की सफाई व्यवस्था में ओर अधिक सुधार लाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों के फ्लेक्स लगाने व कार्य की फोटो व्हाट्स एप डालने से अब प्रात:काल से साथ-साथ दोपहर पश्चात भी कर्मचारियों द्वारा सफाई का कार्य मुस्तैदी से किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुद्ढ बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई संरक्षक, वार्ड दरोगा, झोन प्रभारी व स्वास्थ्य अधिकारी के नाम, मोबाईल नम्बर का फ्लेक्स लगाया गया साथ ही किये गये कार्य के फोटो प्रतिदिन व्हाट्स एप ग्रुप में डालने के निर्देश के तहत सफाई कार्य में सुधार आया है। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने में नागरिक भी सहयोग करें ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ में रतलाम नगर स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बन सकें। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है कि वार्डो में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यो की फोटो पृथक-पृथक शिफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप ग्रुप ''मैं बनाउंगा रतलाम नम्बर 1'' मे भेजें फोटो के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि वार्डो में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रात: 06:30 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन किया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा। निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला विभाग के उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रात: 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5:30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

E-News Letter

रतलाम
नगर पालिक निगम

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

आपदा प्रबंधन
नगर पालिक निगम, रतलाम

यह फोटो वास्तिविक नहीं है

अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है। अति वृष्टि हेतु ८ आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो नं 9300885504, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो नं 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो नं 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो नं 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो नं 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो नं 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो नं 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो नं 9644000433 को नियुक्त किया गया है। आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे।

यह फोटो वास्तिविक नहीं है

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है। जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करना, वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रो में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधन, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्च, पेट्रोमेक्स, तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका **दूरभाष नम्बर 07412-270563** स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8-8 घन्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाई, वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलाना, वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करना, अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना, आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना, तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

1 जुलाई से 31 जुलाई तक 2460 टनकचरा जुलवानिया पंहुचा

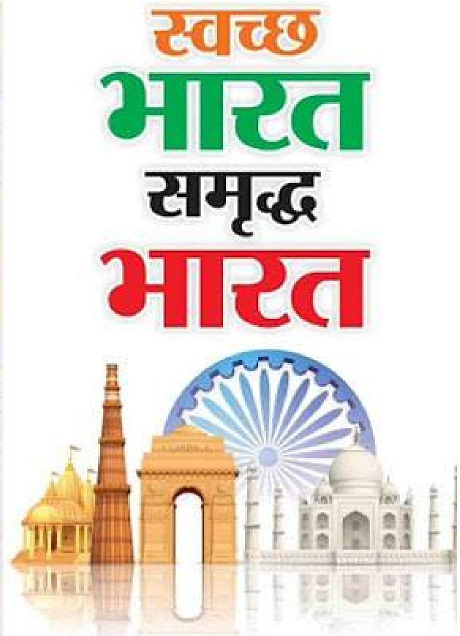

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 01 जुलाई से 31 जुलाई तक 2460 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया। 31 जुलाई शनिवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 36990, काम्पेक्टर सूखा कचरा 23595, काम्पेक्टर गीला कचरा 15180, मैजिक 1375 किलो इस तरह कुल 77140 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

दिनांक	कचरा वजन किया गया
01 जुलाई	81 टन
02 जुलाई	89 टन
03 जुलाई	82 टन
04 जुलाई	61 टन
05 जुलाई	72 टन
06 जुलाई	80 टन

07 जुलाई	95 टन	27 जुलाई	97 टन
08 जुलाई	78 टन	28 जुलाई	88 टन
09 जुलाई	78 टन	29 जुलाई	73 टन
10 जुलाई	78 टन	30 जुलाई	86 टन
11 जुलाई	47 टन	31 जुलाई	77 टन
12 जुलाई	79 टन		
13 जुलाई	76 टन		
14 जुलाई	93 टन		
15 जुलाई	74 टन		
16 जुलाई	86 टन		
17 जुलाई	85 टन		
18 जुलाई	49 टन		
19 जुलाई	76 टन		
20 जुलाई	85 टन		
21 जुलाई	98 टन		
22 जुलाई	100 टन		
23 जुलाई	76 टन		
24 जुलाई	92 टन		
25 जुलाई	54 टन		
26 जुलाई	80 टन		

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

रतलाम शहर में टीकाकरण के लिए स्थल निर्धारित
मतदान केंद्रवार होगा टीकाकरण

13 जुलाई। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में रतलाम शहर में बुधवार 14 जुलाई को टीकाकरण के लिए विभिन्न स्थानों का निर्धारण किया गया है। बुधवार को रतलाम शहर में प्रथम डोज के लिए 13 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं। सिर्फ सेकंड डोज के लिए 5 सत्र स्थल निर्धारित है। सिर्फ स्लॉट बुकिंग के लिए 2 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं।

बुधवार को रतलाम नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रवार टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए जिस मतदान केंद्र पर मतदाता का नाम है, वह उसी मतदान केंद्र क्रमांक के लिए निर्धारित सेंटर पर पहुंचकर टीका लगवाएंगे। टीकाकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र अवश्य लाएंगे। टीकाकरण स्थल पर मौजूद बीएलओ द्वारा उनके एपिक कार्ड से मिलान कर टीकाकरण किया जाएगा।

टीकाकरण मतदान केंद्रवार होगा इसलिए संबंधित व्यक्ति अपने मतदान केंद्र के लिए निर्धारित सेंटर पर ही पहुंचकर टीका लगवाएंगे। सभी वार्ड एवं मतदान केंद्रों के लिए रोटेशन के आधार पर टीकाकरण आगामी दिनों में किया जाएगा इसलिए अन्य वार्ड के या अन्य मतदान केंद्र के व्यक्ति टीकाकरण के लिए अपने मतदान केंद्र के अतिरिक्त अन्य स्थल पर टीकाकरण के लिए नहीं जाएं।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

2 जुलाई को 18 स्थानों पर हुआ को-वैक्सीन के दूसरे डोज का टीकाकरण

2 जुलाई। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 03 जुलाई शनिवार को 18 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर को-वैक्सीन के दूसरे डोज का टीकाकरण प्रात: 9 बजे से नि:शुल्क किया जायेगा।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी नागरिक जिनको को-वैक्सीन का पहला टीका लगाकर 28 दिन पूर्ण हो चुके ऐसे नागरिक अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर को-वैक्सीन का दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाये। को-वैक्सीन के दूसरे डोज के टीकाकरण हेतु गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, प्रिंस पैलेस साक्षी पेट्रोल पम्प के पास, कम्युनिटी हॉल अलकापुरी, बोधी स्कूल डोंगरे नगर, काश्यप सभागृह सागोद रोड, आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, सरस्वती स्कूल अमृत सागर, ज्योति कान्वेंट स्कूल बालाजी नगर, लायंस हॉल पावर हाउस रोड, माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, सूरज हॉल वेदव्यास कालोनी, पुराना कलेक्टोरेट सभागृह, श्रम सभागृह पावर हाउस रोड (एमपीईबी), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान विरियाखेड़ी (बैंक कर्मचारी), डीआरएम ऑफिस दो बत्ती (रेलवे कर्मचारी), घटला अस्पताल (रेलवे कर्मचारी), ईप्का डेरी फार्म फेक्ट्री के सामने (इप्का कर्मचारी), इंडियन ऑयल डिपो (स्थानीय कर्मचारी) पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

प्रथम डोज के लिए रतलाम शहर में 13 सत्र स्थल निर्धारित

COVID-19 Vaccine

बुधवार को रतलाम शहर में प्रथम डोज के लिए 13 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं जहां 66 मतदान केंद्रों के निवासियों का टीकाकरण होगा। इनमें वार्ड क्रमांक 1 के 6 मतदान केंद्र के लिए रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा , वार्ड क्रमांक 4 के 6 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल गुरु रामदास स्कूल, वार्ड क्रमांक 8 के 10 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल प्रिंस पैलेस साक्षी पेट्रोल पंप के पास, वार्ड क्रमांक 11 के 6 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल बोधी स्कूल डोंगरे नगर , वार्ड क्रमांक 14 के 5 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल सरस्वती स्कूल काटजू नगर ,वार्ड क्रमांक 17 के तीन मतदान केंद्रों के लिए उत्कृष्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड क्रमांक 21 के तीन मतदान केंद्रों के लिए स्थल सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड क्रमांक 27 के 6 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल जमातखाना शेरानीपुरा, वार्ड क्रमांक 28 के 4 मतदान केंद्रों के लिए स्थल मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड क्रमांक 31 के 4 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल काजीखान मस्जिद, वार्ड क्रमांक 34 के 4 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल उजाला पैलेस, वार्ड क्रमांक 41 के 3 मतदान केंद्रों के लिए माणक चौक स्कूल तथा वार्ड क्रमांक 47 के 5 मतदान केंद्रों के लिए सत्र स्थल मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा रहेगा।

सिर्फ सेकंड डोज के लिए पांच स्थानों पर होगा टीकाकरण

बुधवार को सिर्फ सेकंड डोज के लिए पांच स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 9 से 10 के नागरिकों के लिए कम्युनिटी हॉल अलकापुरी, वार्ड क्रमांक 11 से 20 के निवासियों के लिए काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड क्रमांक 21 से 30 के मतदाताओं के लिए मेहंदीकुई बालाजी, वार्ड क्रमांक 31 से 40 के लिए डीआरएम ऑफिस दो बत्ती तथा वार्ड क्रमांक 41 से 49 के निवासियों के लिए माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार में टीकाकरण किया जाएगा। सिर्फ स्लॉट बुकिंग के लिए दो स्थल निर्धारित बुधवार को संपूर्ण शहर के लिए सिर्फ स्लाट बुकिंग हेतु 2 सत्र स्थल निर्धारित किए गए हैं। यह स्थल हैं आईएमए हॉल राजेंद्र नगर एवं लायंस हॉल पावर हाउस रोड रतलाम। स्लाट बुकिंग वाले व्यक्ति इन स्थानों पर पहुंचकर टीकाकरण करवा सकते हैं।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

15 स्थानों पर हुआ कौविशिल्ड के प्रथम डोज का टीकाकरण
2 स्थानों हुआ कौविशिल्ड के दुसरे डोज का टीकाकरण

कौविशिल्ड के प्रथम डोज का टीकाकरण

18 जुलाई। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु १९ जुलाई सोमवार को १९ वैक्सीनेशन सेन्टरों पर स्लॉट बुकिंग कराने वाले नागरिकों को कौविशिल्ड के प्रथम डोज तथा २ वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कौविशिल्ड के दूसरे डोज का टीकाकरण प्रातः ९ बजे से निःशुल्क किया जायेगा। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्लॉट बुकिंग कराने वाले नागरिकों व १८ वर्ष से अधिक आयु के कोई भी नागरिक जिनको कौविशिल्ड का पहला टीका लगाकर ८४ दिन पूर्ण हो चुके ऐसे नागरिकों से अपील की है प्रथम डोज हेतु नियत वैक्सीनेशन सेंटर व दुसरे डोज हेतु अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर कौविशिल्ड का पहला व दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाये। कौविशिल्ड के प्रथम डोज हेतु रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, मार्निंग स्टार स्कूल इन्द्रलोक नगर, सांई ऐकेडमी ८० फीट रोड, सिंधी गुरूद्वारा मोहन नगर, सरस्वती स्कूल काटजू नगर, आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, काश्यप सभागृह सागोद रोड, जमातखाना शैरानीपुरा, मोहन टॉकिज, उजाला पैलेस स्टेशन रोड, लायंस हॉल पावर हाउस रोड, मेंहदीकुई बालाजी, कालिका माता धर्मशाला, माहेश्वरी भवन कसारा बाजार तथा कौविशिल्ड के दुसरे डोज हेतु कम्यूनिटी हॉल अलकापुरी व डीआरएम ऑफिस दो बत्ती पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

COVID-19 Vaccine

15 स्थानों पर हुआ टीकाकरण

30 जुलाई। रतलाम नगर में कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 30 जुलाई शनिवार को 8 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड का प्रथम डोज सिर्फ ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण), 2 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड सेकेण्ड डोज रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण), 3 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर कोविशिल्ड प्रथम डोज व 1 वैक्सीनेशन सेन्टर पर कौवैक्सीन सेकेण्ड डोज हेतु (टोकन वितरण) नियत किया गया है जहां प्रातः 9 बजे से निःशुल्क टीकाकरण किया जायेगा।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से अपील की है प्रथम व द्वितीय डोज हेतु नियत वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर टीका लगवाये। कोविशिल्ड का प्रथम डोज सिर्फ ऑन स्पॉट बुकिंग रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु जावरा फाटक अण्डर ब्रीज के पास, जमातखाना शैरानीपुरा, दारूलुम गौसिया कुरेशी मण्डी, रेडक्रॉस भवन बिरियाखेड़ी, अशोक नगर जामिया समरूल वारिफ मदरसा, डीआरएम ऑफिस दो बत्ती, काश्यप सभागृह सागोद रोड, गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, कोविशिल्ड सेकेण्ड डोज रतलाम शहरी क्षेत्र हेतु (टोकन वितरण) कम्युनिटी हॉल अलकापुरी, माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, कोविशिल्ड प्रथम डोज नया कलेक्टर कार्यालय (सिर्फ विदेश जाने वालो व अधिकारी), घटला रेलवे डिस्पेंसरी, पत्रकार भवन पावर हाउस रोड (पत्रकारगण) तथा कौवैक्सीन सेकेण्ड डोज हेतु (टोकन वितरण) आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये है।

मिनी स्मार्ट सिटी निगरानी समिति की बैठक संपन्न

मिनी स्मार्ट सिटी के स्वीकृत कार्य तेजी से किये जाने के दिये निर्देश

06 जुलाई। रतलाम मिनी स्मार्ट सिटी कार्यो की समीक्षा कलेक्ट्रेट कक्ष में की गई। इस अवसर पर विधायक रतलाम शहर श्री चेतन्य काश्यप द्वारा निर्देशित किया गया कि मिनी स्मार्ट सिटी में स्वीकृत कार्यो को तेजी से पूर्ण किया जाए। आयोजित बैठक में निर्देशित किया गया कि कृषि उपज मण्डी से फव्वारा चौक तक का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये इसके अलावा उंकाला रोड का कार्य पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

इसके अलावा कान्वेंट स्कूल तिराहे से आफिसर्स कालोनी तलैया तक के सड़क निर्माण कार्य में कान्वेंट स्कूल से वन स्टॉप सेन्टर तक १२ मीटर की चौड़ाई नहीं मिलने पर कालिका माता उद्यान व वन स्टॉप सेन्टर के पास वाले उद्यान की बाउण्ड्रीवॉल अंदर किये जाने हेतु नवीन बाउण्ड्रीवॉल बनाने के कार्य में होने वाला व्यय संबंधित निविदाकार द्वारा वहन किये जाने के निर्देश दिये। विधायक रतलाम शहर श्री चेतन्य काश्यप ने बैठक में कहा कि मिनी स्मार्ट सिटी के तहत कान्वेंट स्कूल के सामने किये जा रहे डामरीकरण कार्य में स्लोप कार्य सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण दुर्घटना का खतरा है, उसको सुधारा जाए साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य में लागत ज्यादा है इस हेतु पुन: प्रस्ताव तैयार किया जाये। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि कंसल्टेंसी द्वारा ढिलाई के साथ कार्य किया जा रहा है साथ ही एजेंसी भी ठीक से कार्य नहीं कर रही है। कलेक्टर द्वारा कार्य पर सही मॉनिटरिंग किये जाने हेतु नगर निगम के इंजीनियरों को निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट भवन के सामने चल रहे कार्य की धीमी गति पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए एजेंसी को तेजी से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। ऊंकाला रोड पर पाइप लाइन कार्य के दौरान कलेक्टर द्वारा नगर निगम के एक इंजीनियर की पूरे समय तैनाती के निर्देश निगम आयुक्त को दिए गए। बैठक में बताया गया कि स्मार्ट सिटी तीन सड़क निर्माण कार्य डि-स्कोप किए जा रहे हैं इनमें गुजरात स्वीट से जूनियर रेलवे इंस्टिट्यूट तक, महाराणा प्रताप चौराहा से जीपीओ रोड तथा शास्त्री नगर मेन रोड सम्मिलित है। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, डिप्टी डायरेक्टर षि एवं किसार, एमपीयूडीसी प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मिश्रा, कार्यपालन यंत्री श्री लोक निर्माण श्री दीपेश गुप्ता, कार्यपालन यंत्री पीएचई, नगर निगम कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, श्री सुरेशचन्द्र व्यास, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार आदि उपस्थित थे।

डॉ अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड का दीनदयाल रसोई केन्द्र प्रारंभ

08 जुलाई। नगर निगम द्वारा राजीव गांधी सिविक सेन्टर, त्रिपोलिया गेट के साथ डॉ अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर संचालित दीनदयाल रसोई योजना केन्द्र भी आज 8 जुलाई शुक्रवार से पुनः प्रारंभ किया गया है जिसमें हितग्राही 10 रूपये में भोजन कर सकते है। ज्ञातव्य है कि नगर निगम द्वारा राजीव गांधी सिविक सेन्टर, त्रिपोलिया गेट व डॉ अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर दीनदयाल रसोई केन्द्र संचालित किये जा रहे थे किन्तु कोरोना संक्रमण दर बढ़ने पर त्रिपोलिया गेट व डॉ अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड के रसोई केन्द्रों को बंद कर दिया गया था सिर्फ राजीव गांधी सिविक सेन्टर के रसोई केन्द्र को चालू रखा गया था।

कोरोना संक्रमण कम होने पर त्रिपोलिया गेट के रसोई केन्द्र को नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। डॉ अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड के रसोई केन्द्र को भी प्रारंभ किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वे निर्धारित समय प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे के मध्य सिविक सेन्टर, त्रिपोलिया गेट व डॉ अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड दीनदयाल रसोई केन्द्र पर उपस्थित होकर निर्धारित दर पर भोजन करें।

जलापूर्ति के लिए निगम का जलप्रदाय अमला 24 घन्टे कार्य करेगा

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने बैठक में दिये निर्देश

20 जुलाई। रतलाम शहर की जलप्रदाय व्यवस्था में सुधार हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम ने एक विशेष बैठक नगर निगम तथा विद्युत वितरण कंपनी के साथ आयोजित की। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शहर में सुचारू जल प्रदाय व्यवस्था के लिए नगर निगम का जलप्रदाय अमला २४ घंटे कार्य करें, लोगों की समस्या शिकायत सुने। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निदेशित किया कि यह बैठक अंतिम बैठक है यदि जल प्रदाय व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो फिर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री श्री सुरेश वर्मा, नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री सत्यप्रकाश आचार्य आदि उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निर्देशित किया कि सुचारू जल प्रदाय के लिए शिकायत एवं समस्याओं की जानकारी तथा उनके निराकरण हेतु कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। निगम का अमला सतत मॉनिटरिंग करते हुए प्रतिदिन देखें कि शहर की कौन सी टंकी में जल भरा गया है और कौन सी टंकी में पानी नहीं पहुंचा और क्यों नहीं पहुंचा। इस बाबत प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री शेख को निर्देशित किया। सुचारू व्यवस्था हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने उपयंत्री श्री बी.एल. चौधरी, श्री सुहास पंडित को वैक्सीनेशन ड्यूटी से मुक्त किया।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम बैठक में निर्देशित किया कि निगम की जल वितरण व्यवस्था को सुधारने की प्लानिंग कर सिस्टम की खामियों को दूर करें तथा प्रयास किया जाए कि लीकेजेस नहीं हो। बैठक में बताया गया कि 20-25 लीकेज प्रतिदिन सुधारे जा रहे हैं। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निर्देशित किया कि गन्दे पानी की समस्या को दूर करने हेतु ड्रेनेज सिस्टम में गंदे जल के भराव को रोकने के इंतजाम किए जाएं। सतत जलापूर्ति के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अधीक्षण यंत्री विद्युत को निर्देशित किया कि तीन-चार दिनों में जो भी मेंटेनेंस अथवा अन्य कार्य है उनको पूर्ण किया जाए। बैठक में बताया गया कि नगर निगम के मोरवानी फिल्टर प्लांट की व्यवस्था को सुधारना आवश्यक है। विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री द्वारा बताया गया कि मोरवानी में 2 वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बदले जाना है जिसकी वजह से निर्बाध विद्युत आपूर्ति धोलावाड़ तक संभव हो सकेगी। अभी मोरवानी में वेक्यूम सर्किट ब्रेकर पुराने हो जाने के कारण कोई भी फाल्ट आने पर धोलावाड़ तक विद्युत समस्या आती है जिसके निराकरण के लिए नवीन वेक्यूम सर्किट ब्रेकर लगाए जाएं। कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को तत्काल नवीन सर्किट ब्रेकर क्रय करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने बैठक में अधीक्षण यंत्री से कहा कि विगत 14 जून से लेकर 18 जुलाई तक 18 बार विद्युत ट्रिपिंग देखने में आई है। अधीक्षण यंत्री उक्त समस्या का तत्काल निराकरण करें ताकि जल आपूर्ति में बाधा नहीं आए।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

07 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 7 जुलाई 2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है। आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये ५०,०००/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में १०० प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये १०,०००/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर १०० प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार (One Timeettlement) ही दी जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 10/07/2021 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 7 जुलाई 2021 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय जलकर काउंटर के बाहर तथा कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

लोक अदालत में बकायादारों ने संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया बकाया के रूप में संपत्तिकर 35 लाख व जलकर 12 लाख जमा हुए निगम को 47 लाख की राशि बकाया के रूप में प्राप्त हुई

10 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 10 जुलाई शनिवार को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) राशि में छूट का लाभ लिया।

नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय में आयोजित संपत्तिकर, जलकर शिविर के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयोजित किये गये शिविर का अवलोकन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सत्यप्रकाश आचार्य, श्री एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह आदि के साथ कर बकाया राशि जमा करने व आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आज नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय व जलकर काउन्टर के बाहर आयोजित शिविर व नगर निगम कार्यालय में बकायादारों ने 220 प्रकरणों के तहत संपत्तिकर के 35 लाख रूपये तथा 516 प्रकरणों के तहत जलप्रदाय के 12 लाख 14 हजार 8 सौ 40 रूपये कुल राशि 45 लाख 14 हजार 8 सौ 40 रूपये जमा कराकर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट का लाभ लिया। आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के तहत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष शिविर में 89 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम तथा अधिकारियों द्वारा हनुमान ताल में वृक्षारोपण

14 जुलाई। हनुमान ताल क्षेत्र को हरियाली से आच्छदित किये जाने हेतु कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारियों द्वारा बुधवार सुबह हनुमान ताल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने आम नागरिकों से भी अनुरोध किया कि जिले में अधिकाधिक हरीतिमा के ष्टिगत ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। वृक्ष हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उपसंचालक उद्यानिकी श्री पी. एस. कनेल ने बताया कि हनुमान ताल परिसर में विभिन्न प्रजातियों के लगभग ५ हजार वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इनमें बोगनवेलिया, क्रोटन, कनेर, गुलाब, चांदनी, मोगरा, मधु, कामिनी, गोल्डन डूरंटा, गुड़हल, ड्रेसिंना आदि सम्मिलित है। इसके अलावा रोड के दोनों किनारों पर भी शोभायमान पौधे रोपित किए जाना है। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर सुश्री शिराली जैन, सुश्री तिका भीमावद, सुश्री मनीषा वास्कले, जिला योजना अधिकारी श्री बाल ष्ण पाटीदार, ईईआरइएस श्री अनूप मिश्रा, उपसंचालक षि श्री ज्ञानसिंह मोहनिया, जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.सी. शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्री रजनीश सिन्हा, परियोजना अधिकारी डूडा श्री अरुण पाठक, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, नगर निगम के इंजीनियर सर्वश्री सुरेश व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, सत्यप्रकाश आचार्य, अरविन्द दशोत्तर, मनीष तिवारी, विकास मरकाम, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह आदि ने भी वृक्षारोपण किया। रतलाम में चालू वर्षा सत्र में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम की पहल पर नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट भी 10 हजार पौधे लगाने वाला है। नेशनल हाईवे रतलाम शहर के गंगासागर क्षेत्र में स्थित नगर निगम फिल्टर प्लांट परिसर में वृक्षारोपण करेगा। इसके लिए बुधवार प्रात: कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मीनाक्षीसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, निगम स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

बंजली में निर्माणाधीन पीएम आवासों का निरीक्षण

14 जुलाई । कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मीनाक्षीसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ बंजली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन फ्लेटों का निरीक्षण किया व कार्य में गति लाये जाने के निर्देश दिये। निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा आयुष्मान कार्ड शिविरों का निरीक्षण पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक कार्ड बनाने के दिये निर्देश

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सीवरेज कार्य का निरीक्षण

27 जुलाई । मंगलम सिटी मेन रोड कॉलोनी में 600 मीटर लंबी खोदी गई सीवरेज पाइप लाइन कार्य का निरीक्षण नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश चंद्र व्यास के साथ कर मरम्मत कार्य शीघ्र करने हेतु ठेकेदार के इंजीनियर को दिये। निगम आयुक्त श्री झारिया ने ठेकेदार के इंजीनियरों को निर्देशित किया कि शीघ्र मरम्मत करवायें जिससे रोड कॉलोनी वासियों के सुचारू आवागमन के लिए के लिए उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर कॉलोनीवासी एवं समिति पदाधिकारी सर्वश्री प्रकाश चंद्र व्यास हंसराज छाबड़ा (गोलू), वीरेंद्र यादव ने निगम आयुक्त श्री झारिया को कॉलोनी की पानी की समस्या को भी अवगत कराया, जिस पर आयुक्त श्री झारिया ने सिटी इंजीनियर श्री व्यास से शीघ्र कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। श्री व्यास ने कॉलोनी की साफ-सफाई एवं कॉलोनी में स्थित बगीचों की एक बार सफाई पर भी चर्चा की जिससे कॉलोनी स्वच्छ एवं सुंदर रहे!

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

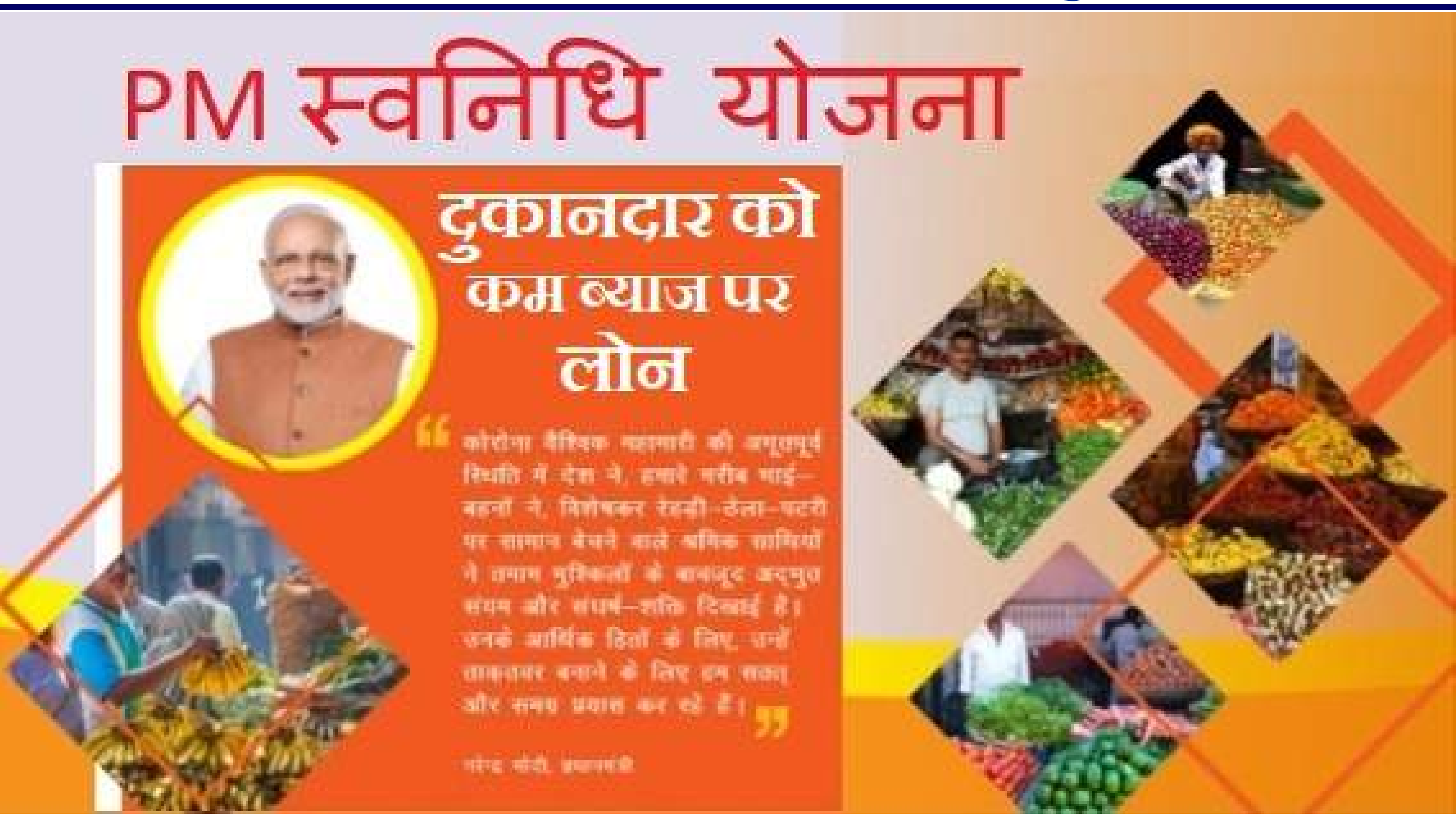

28 जुलाई। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें। ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

धोलावाड़ न्यू इंटकवेल व मोरवानी में हुआ पौधारोपण

निगम आयुक्त व वन मण्डल अधिकारी द्वारा स्थलों का निरीक्षण

01 जुलाई। धोलावाड़ न्यू इन्टकवेल एप्रोच रोड की साईड़ों व मोरवानी फिल्टर प्लांट परिसर में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वन मण्डल अधिकारी श्री एम.एस. डोडवे के साथ स्थलो का निरीक्षण किया।

धोलावाड़ न्यू इन्टकवेल एप्रोच रोड की साईड़ों व मोरवानी फिल्टर प्लांट परिसर में वन विभाग से इस वर्षाकाल में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्थल का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि उक्त स्थलों पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे जाने हेतु उद्यान विभाग तीन दिवस में कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि वन विभाग की गाईड लाईन व तकनीकी सुपरविजन में उक्त स्थलों पर वृक्षारोपण किया जाकर भूमि को हरियाली से आच्छदित किया जा सकें। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, श्री हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, वन विभाग के डिप्टी रेंजर श्री परमार आदि उपस्थित थे।

सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के साथ निगम का राजस्व बढ़ायें
कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने निगम अधिकारियों को दिये निर्देश

15 जुलाई। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने तथा नगर निगम की आय में वृद्धि किये जाने हेतु कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में सफाई कार्य व निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी लेकर सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने व निगम की अचल संपत्तियों के विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में किये जा रहे सफाई कार्य की जानकारी लेकर एक सप्ताह में ओर अधिक सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि शहर में कचरा तब दिखाई देता है जब १०० प्रतिशत कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा होता है इसलिये नगर के सभी घरो से १०० प्रतिशत कचरा संग्रहण किया जाये। उन्होने बैठक में निर्देशित किया नगर में ऐसे नागरिक व दुकानदार जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है उन पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्पॉट फाईन दल के अलावा झोन प्रभारी भी करेंगे।

कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने निर्देशित किया कि हरमाला रोड क्षेत्र में फल-फ्रुट के थोक विक्रेता अधिक है तथा वहां कचरा भी अधिक मात्रा में निकलता है, कचरा संग्रहण कार्य के लिये बडा वाहन लगाया जाये इसके पश्चात भी खुले में या नाले नालियों में कचरा पाया जाता है तो उन पर बड़े जुर्माने की कार्यवाही की जाये साथ ही ऐसे संस्थान जहां कचरा अधिक मात्रा में निकलता है उन संस्थानों यूजर्स चार्जेस लिया जाये।

बैठक में उन्होने निर्देशित किया कि व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रातः सफाई कार्य पश्चात दुसरी शिफ्ट में सफाई का कार्य ना कराते हुए रात्री में सफाई का कार्य कराया जाये। रात्रिकालीन सफाई में महिला कर्मचारी को छोड़कर पुरूष कर्मचारी 20-20 लगाकर सफाई का कार्य किया जाये व निकलने वाले कचरे के संग्रहण के लिये चारो झोन में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन भी लगायें। इसके अलावा मुख्य मार्गो की रात्री में भी सफाई कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रातः कालीन शिफ्ट में सफाई का कार्य होता है किन्तु दोपहर की शिफ्ट में अधिकांश कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है नौकरी में कम से कम 8 घन्टे काम करना अनिवार्य होता है। दोपहर की शिफ्ट में कर्मचारी कार्य नहीं करता है तो उसका आधे दिवस का वेतन काटा जाये इसके बाद भी वह लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसके निलबंन/बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाये।

वार्डो में पर्याप्त सफाई कार्य नहीं होने पर उन्होने निर्देशित किया कि सुपरविजन हेतु नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये क्योंकि किसी भी कार्य का सुपरविजन नियमित व सही ढंग से होगा तो वह कार्य सही से होगा।

नगर निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी ली

सफाई कार्य की बैठक के पश्चात कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने नगर निगम के राजस्व विभाग व विकास शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर निगम की विक्रय योग्य अचल संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर संपत्ति विक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम को निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा राजीव गांधी सिविक सेंटर की 121 संपत्ति, सुभाष शापिंग काम्पलेक्स की 94 दुकानें, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान/हॉल/छत, देवरा देव नारायण नगर के 16 फ्लेट, टीआईटी रोड पर रोडवेज को लीज पर दी गई भूमि, अमृत सागर में अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि, अर्जून नगर कॉलोनी में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि, पांजरा पोल की दुकानें व नित्यानन्द मार्केट की दुकानो के बारे में जानकारी दिये जाने पर उन्होने निर्देशित किया कि विक्रय योग्य संपत्तियों के विक्रय किये जाने हेतु निविदा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने के साथ ही अवैध कब्जे वाली दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में निर्मित एलआईजी फ्लेट व दुकानें, मुखर्जी नगर में निर्मित एमआईजी फ्लेट के ऑन लाईन विक्रय के संबंध में जारी की गई निविदा की जानकारी बैठक में दी।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में अर्जुन नगर भूमि का सीमांकन

10 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम के निर्देशानुसार नगर निगम विकास शाखा की स्वीत योजना की भूमि व शासकीय भूमि के सीमांकन का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में कलेक्टर कार्यालय के राजस्व विभाग व निगम इंजीनियरों के द्वारा किया गया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने मौके पर भूमि के नक्शे का अवलोकन कर सीमांकन का कार्य प्रारंभ करवाया साथ ही भूमि पर एकत्रित मिट्टी को समतलीकरण करवाने के साथ ही ईंट के भट्टे की अन्य सामग्री को हटवाया। उन्होने निर्देशित किया कि सीमांकन का कार्य निरंतर जारी रखा जाये तथा पोल लगाने व ग्रीन नेट लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाये पुरी तरह से सीमांकन के बाद तार फेसिंग का कार्य किया जाये।

ज्ञातव्य है कि दिसम्बर 2020 में अर्जून नगर में नगर निगम विकास शाखा की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर भूमि को कब्जे में लेने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन मे की गई थी। उक्त भूमि 1982 में नगर निगम विकास शाखा की स्वीत योजना का हिस्सा है जिस पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर निगम द्वारा कब्जे में लिया गया था।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, एम.के. जैन, सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री विकास मरकाम, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, राजस्व निरीक्षक श्री मेहरबान सिंह, पटवारी श्री अर्जून सिंह आदि उपस्थित थे।

कोर्ट परिसर में बनें आयुष्मान कार्ड
हितग्राही आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ उपस्थित होंवे
निगम आयुक्त श्री झारिया व एसडीएम श्री गेहलोत ने ली बैठक

09 जुलाई। आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के नि:शुल्क आयुष्मान कार्ड १० जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर लक्ष्य पुरा करने के निर्देश दिये। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया व एसडीएम श्री गेहलोत ने निर्देशित किया कि आयुष्मान से वंचित पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में आयोजित शिविर में अपने-अपने वार्डो के हितग्राहियों को आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ पंहूचाने का कार्य पुरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ करें क्योंकि यह शासकीय कार्य होने के साथ पुण्य का कार्य भी है।

आयुष्मान कार्ड से वंचित पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नेशनल लोक अदालत के तहत कोर्ट परिसर में आयोजित आयुष्मान कार्ड विशेष शिविर में आधार कार्ड व समग्र आईडी के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करवाकर आयुष्मान कार्ड बनावें। आयोजित शिविर में मास्क लगाना व सोश्यल डिसटेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, अनिता ठाकुर, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाडे, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर व नियुक्त कर्मचारी उपस्थित थे।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर शिविरों का आयोजन

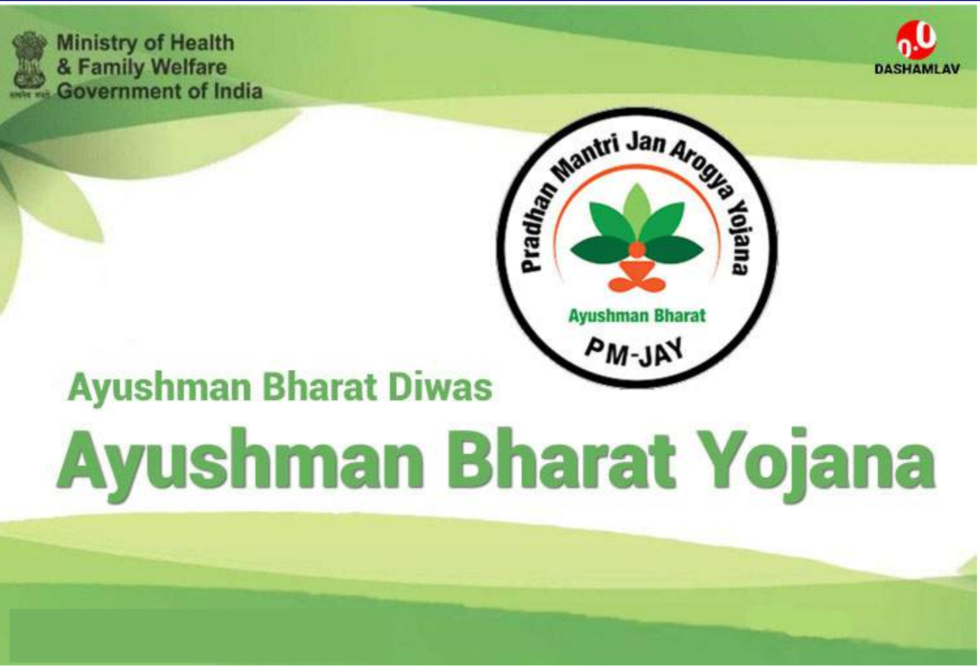

12 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड प्रतिदिन 4 वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जायेंगे आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत 14 जुलाई बुधवार को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु श्रीमती ज्योति सुनारिया सहायक आयुक्त नगर पालिक निगम रतलाम, सुश्री अंकिता पड्या सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीमती रश्मि खांबेटे कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग, श्रीमती आयुषी पालीवाल समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी नगर पालिक निगम रतलाम, सहयोगी कर्मचारी सर्वश्री सतीश यादव, हरीश मिश्रा, वासुदेव बैरागी व प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उचित मूल्य की दूकानों से परिवार की जानकारी प्राप्त कर आयुष्मान कार्ड बनने से शेष रहे व्यक्तियों के मोबाईल से सूचना देकर केम्प के लिए निर्धारित स्थान पर निर्धारित दिनांक को बुलवाकर हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही संपादित करेंगे साथ ही शेष रहे पात्र हितग्राहियों का घर-घर सर्वे कर कार्ड बनाने की कार्यवाही करेंगे। आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे है

14 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु वार्डवार उचित मूल्य की दुकानों पर लगाये जा रहे शिविर का अवलोकन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के साथ कर अधिक से अधिक हितग्राहियों कार्ड बनाने के निर्देश गठित दल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को दिये। वार्डवार उचित मूल्य की दुकानों पर आयोजित किये गये शिविरों के तहत प्रथम दिन 199 आयुष्मान कार्ड बनाये गये।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक ३ में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में लगाये गये विशेष शिविर का अवलोकन किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य की दुकानें के कुल राशन कार्ड व सदस्यों की जानकारी ली साथ ही यह भी जानकारी ली कि उनकी दुकान में कौन-कौन से वार्डो सम्मिलित है। जानकारी प्राप्त करने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि उचित मूल्य की दुकानों के संबंधित वार्डो में उद्घोषणा करवाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही सूची अनुसार हितग्राहियों को दूरभाष से बुलाये जाने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाये।

15 जुलाई को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61, रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान विनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा, वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में शिविर आयोजित किये जायेंगे। आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

दिनांक	दिनांक तक पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये		
14 जुलाई	199	29 जुलाई	4653
15 जुलाई	2978	30 जुलाई	4707
16 जुलाई	3182	31 जुलाई	4746
18 जुलाई	3190		
19 जुलाई	3405		
20 जुलाई	3775		
23 जुलाई	4107		
24 जुलाई	4421		
26 जुलाई	4561		
27 जुलाई	4594		
28 जुलाई	4603		

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

तेजी से होगा अब सिटी फोरलेन निर्माण का कार्य
निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा स्थल का निरीक्षण

27 जुलाई । महाराजा सज्जन सिंह प्रतिमा से कानवेंट स्कूल तिराहे तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निरीक्षण कर मास्टर प्लान अनुसार सड़क की चौड़ाई की पूर्ति हेतु आवास व दुकानो की बाउंड्री को निर्माण कार्य के उपयोग के लिए लिया। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रहवासी व दुकानदारों ने भी 4 लेन के कार्य में अपनी स्वेच्छा से सहयोग कर बाउण्ड्री की भूमि उपलब्ध कराते हुए अपनी मंशा प्रकट करते हुए कहा कि शहर के विकास में वे सहयोग देने को तैयार है। इस तरह 4 लेन निर्माण के कार्य में अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

आयुक्त श्री झारिया ने महाराजा सज्जन सिंह प्रतिमा से कानवेंट स्कूल तिराहे तक चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जो दुकान बिना अनुमति चल रही है उनको हटाने व सड़क निर्माण कार्य को तेजी लाये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

07 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निगम अधिकारियों की ली बैठक शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के दिये निर्देश

24 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम के स्वास्थ्य, राजस्व, विकास शाखा आदि विभागों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने पिछली बैठक में दिये निर्देशों की समीक्षा कर निर्देशित किया कि स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन सांय 4 बजे सफाई व्यवस्था का फीड बैक झोन प्रभारियों सें लेकर कार्य में आने वाली समस्याओं का निराकरण करें।

उन्होने निर्देशित किया कि नगर में ऐसे रिक्त भूखण्ड जहां कचरा एकत्रित हो रहा है ऐसे भूखण्ड स्वामियों पर जुर्माने की कार्यवाही करें साथ ही ऐसी मदिरा की दुकानें जहां कचरा व गंदगी होती है उन पर भी स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जाये। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रतिदिन अनुपस्थित सफाई संरक्षकों व स्पॉट फाईन की जानकारी व्हाट्स एप ग्रुप में डालने के निर्देश झोन प्रभारी व स्वास्थ्य अधिकारियों को दिये।

बैठक में कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निर्देशित किया कि सफाई कार्य की मॉनिटरिंग हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक जिम्मेदारी से कार्य की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि शहर में यदि कहीं भी कचरा या गंदगी दिखाई दी तो संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने एनयूएलम के विभिन्न घटकों व पी.एम. स्वनिधी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं को निर्देशित किया कि वे 15 अगस्त तक पी.एम. स्वनिधी के 2500 हितग्राहियों को ऋण दिलाने का लक्ष्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करें अन्यथा संबंधितों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

इसके अलावा कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निगम के राजस्व में वृद्धि किये जाने हेतु निगम की विक्रय योग्य संपत्ति के संबंध में पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी लेकर नित्यानंद मार्केट में अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई 6 दुकानों के विक्रय हेतु निविदा जारी करने की कार्यवाही करने, महू रोड स्थित सुभाष शॉपिंग काम्पलेक्स की 99 दुकानों के विक्रय हेतु निविदा जारी किये जाने के पूर्व मार्केट व दुकानों की मरम्मत व रंगाई पुताई कराने के निर्देश बैठक में दिये।

बैठक में कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम को निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा राजीव गांधी सिविक सेंटर की 121 संपत्ति, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान / हॉल/छत, देवरा देव नारायण नगर के 16 फ्लेट, टीआईटी रोड पर रोडवेज को लीज पर दी गई भूमि, अमृत सागर में अति की क्रमण मुक्त की गई भूमि, अर्जून नगर कॉलोनी में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि, पांजरा पोल की दुकानें व नित्यानन्द मार्केट की दुकानो की जानकारी लेकर विक्रय योग्य संपत्तियों के विक्रय किये जाने हेतु निविदा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, एम.के. जैन, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा, श्री सुहास पंडित, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, राजस्व निरीक्षक श्री सुनील कपूर, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री वासुदेव बैरागी, श्री सतीश यादव, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, सुश्री निर्मला राय आदि उपस्थित थे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

महेन्द्रसिंह सोलंकी को मिली अनुकम्पा नियुक्ति

निगम आयुक्त श्री झारिया ने अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान किया

02 जुलाई। नगर निगम कर्मचारी श्री ईश्वर सिंह सोलंकी की कोरोना से मृत्यु हो जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के तहत उनके पुत्र श्री महेन्द्रसिंह सोलंकी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करते हुए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद का आदेश प्रदान किया।

10 सफाई संरक्षकों को सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र

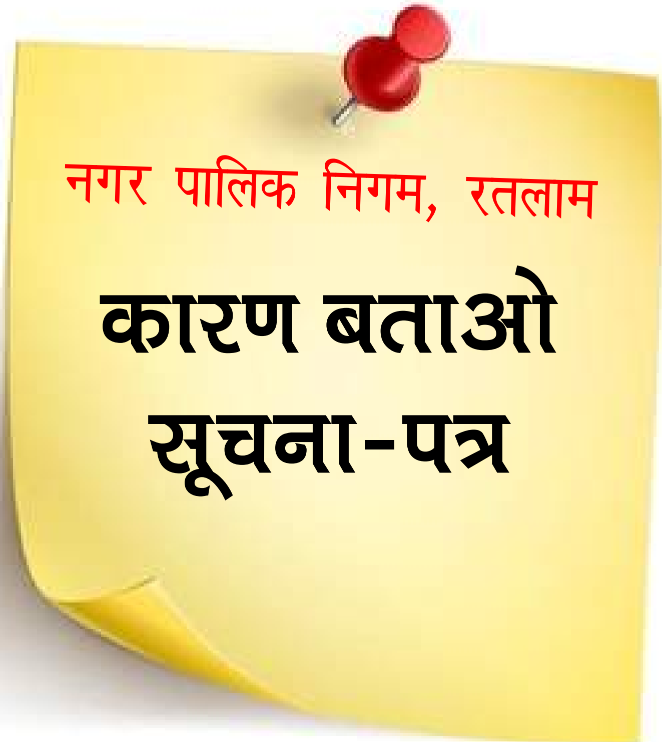

03 जुलाई । झोन क्रमांक 1, 2 व 3 के 10 ऐसे सफाई संरक्षक जिनका नाम वार्ड/झोन पर दर्ज होकर वर्तमान में वार्डो में लगाये गये फ्लेक्स पर अंकित है किन्तु वे कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहते है निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार उक्त कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। झोन क्रमांक 1 में जितेन्द्र-बलराम 30 दिवस बदली कर्मचारी, श्याम-प्रकाश गैंग सफाई संरक्षक, सुमनलाल-रतन दै वे भोगी वार्ड क्रमांक 5, शंकर-पुनाजी, हरिओम-मनोहर, सनी-मुकेश दै वे भोगी कर्मचारी, झोन क्रमांक 2 में जयकिशन-मदन, नरेन्द्र-नवीन दैवेभोगी कर्मचारी व झोन क्रमांक 3 में महेन्द्र-राजेन्द्र गैंग सफाई संरक्षक, जितेन्द्र-प्रकाश दै वे भोगी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

लेखापाल श्री बालोद्रा व श्री राठौर का माह जून वेतन रोका

08 जुलाई। नगर निगम के पीएमएवाय योजना संबंधी खाते में बीएलसी मद की कोई राशि शेष नही होने संबंधी गलत जानकारी दिये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेखाशाखा के लेखापाल श्री विजय बालोद्रा व सहायक राजस्व निरीक्षक श्री बलवंत सिंह राठौर का माह जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिये।

संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिग की बैठक में पीएमएवाय अन्तर्गत बीएलसी घटक की समीक्षा की गई समीक्षा के दौरान पाया गया कि रतलाम नगर निगम के खाते में बीएलसी घटक के अन्तर्गत 1.58 करोड़ रूपये की राशि रखी हुई है जिसका हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया गया है। पीएमवाय योजना शासन स्तर की प्राथमिका प्राप्त योजना है जिसमें हितग्राहियों को समय-सीमा में भुगतान किया जाना आवश्यक होता है उक्त असंतोषजनक स्थिति के कारण आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। पीएमएवाय योजना संबंधी खाते में बीएलसी मद की कोई राशि शेष नही होने संबंधी गलत जानकारी निगम आयुक्त श्री झारिया को श्री बालोद्रा व श्री राठौर द्वारा दिये जाने पर संबंधितों का माह जून का वेतन आगामी आदेश तक रोका जाकर 1 सप्ताह में पात्र हितग्राहियों को भुगतान की कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।

सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं का माह जून वेतन रोका

08 जुलाई। प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधी अन्गर्तत रतलाम जिमे की रैंकिंग 52 वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकींग 16 वें स्थान पर होने से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सिटी मैनेजर श्री नितिन तिवारी, श्री कपील मारोठिया, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती रेखा राठौर, श्रीमती सीमा सुरोलिया, हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय का माह जून 2021 का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने के निर्देश दिये।

DISCIPLINE

संचालनालय द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिग की बैठक में एनयूएलएम अन्तर्गत पी.एम. स्वनिधी योजना की समीक्षा की गई समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश के 52 जिलो में पी.एम. स्वनिधी अन्तर्गत रतलाम जिमे की रैंकिंग 52 वें स्थान पर साथ ही प्रदेश की 16 नगर निगमों में रतलाम नगर निगम की रैंकींग 16 वें स्थान पर है उक्त असंतोषजनक प्रगति के कारण आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई साथ ही वीडियो कान्फ्रेसिंग पश्चात ली गई बैठक में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा भी नाराजगी व्यक्त करने पर उक्त कर्मचारियों का माह जून का वेतन आगामी आदेश तक रोके जाने व 1 सप्ताह में अपने कार्यक्षेत्र में संतोषजनक प्रगति लाकर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने दिये।

गंदगी पाये जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा 1 दिन का वेतन काटा

दरोगा तरूण राठौड़ की 6 माह परिवीक्षा अवधि बढ़ाने हेतु सूचना पत्र जारी

13 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा झोन क्रमांक 1, 2 व 3 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान कचरा व गंदगी पाये जाने व दोपहर पश्चात् कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल पर नहीं पाये जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं का 1 दिन का वेतन काटा गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा झोन क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 1 से 13 के निरीक्षण के दौरान पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं पाये जाने व जगह जगह कचरे के ढेर पाये जाने तथा दोपहर पश्चात कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाये जाने पर झोन प्रभारी श्री विनय चौहान व वार्ड के दरोगाओं का एक दिवस काटा गया।

इसके अलावा झोन क्रमांक 3 व 4 की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्डो में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं पाये जाने व जगह-जगह कचरे के ढेर पाये जाने पर झोन प्रभारी श्री विराट मेहरा व श्री किरण चौहान का एक दिवस का वेतन काटा गया।

वार्ड क्रमांक 11 में निरीक्षण के दौरान जगह-जगह गंदगी के ढेर, नालियों में गंदगी व सड़कों पर जगह-जगह कचरा फैला पाये जाने पर वार्ड प्रभारी श्री तरूण राठौड़ की परिवीक्षा अवधि 6 माह बढ़ाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

2 सिटी मैनेजर व 5 सामुदायिक संगठिकाओं को सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी

22 जुलाई। एनयूएलएम के विभिन्न घटकों व पी.एम. स्वनिधी की समीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति के पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एनयूएलएम विभाग के दो सिटी मैनेजर व पांच सामुदायिक संगठिकाओं को संविदा अनुबंध समाप्त कर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। एनयूएलएम के विभिन्न घटकों व पी.एम. स्वनिधी की समीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति के पाये जाने पर सिटी मैनेजर श्री नितिन तिवारी, श्री कपील मारोठिया, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, श्रीमती हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

18 अधिकारी/कर्मचारियों का माह जुलाई का वेतन रोका

22 जुलाई। सी.एम. हेल्प लाईन की शिकायतों का 19 जुलाई के पूर्व संतुष्टि पूर्वक शत-प्रतिशत निराकरण नहीं करवाये जाने पर 20 जुलाई को जारी ग्रेडिंग में रतलाम नगर निगम की उच्च ग्रेडिंग में आई कमी के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित 18 अधिकारी/कर्मचारियों का आगामी आदेश तक माह जुलाई का वेतन रोका गया।

निगम सचिव श्री जसवंत जोशी सेवानिवृत्त

30 जुलाई। नगर निगम परिषद विभाग के निगम सचिव श्री जसवंत जोशी की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण हो जाने पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत भाव-भीनी विदाई दी गई। उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, उपयंत्री श्री एम.के. जैन, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, सहायक वर्ग-३ श्री राजेन्द्र पुरोहित के अलावा सर्वश्री राजेन्द्रसिंह गेहलोत, हेमन्त सोलंकी, हरेश जोशी, श्रीमती प्रफ्फुलता तिवारी, श्रीमती नाहिदा कुरेशी आदि ने श्री जसवन्त जोशी को हार पहनाकर, पुष्पगुच्छ भेंटकर, शाल-श्रीफल, प्रशस्ती पत्र व उपहार भेंट कर तथा साफा बांधकर सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने सत्यप्रकाश आचार्य को किया निलंबित

28 जुलाई। पेयजल व्यवस्था विगत 2 माह से सुचारू नहीं होने पर नागरिकों द्वारा की जा रही शिकायतों के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा उपयंत्री एवं प्रभारी जलप्रदाय श्री सत्यप्रकाश आचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। नागरिकों द्वारा जलप्रदाय के संबंध में की जा रही सी.एम. हेल्प लाईन व कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री झारिया को की जा रही शिकायतों के संबंध में लगातार बैठकों में निर्देशित किये जाने व प्रभारी मंत्री महोदय के दौरान भी जलप्रदाय व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर उपयंत्री एवं प्रभारी जलप्रदाय श्री सत्यप्रकाश आचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर अटैच किया गया।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा , मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 31 जुलाई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1174 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

दिनांक	दिनांक तक पकड़े गए मवेशिओं की संख्या
01 जुलाई	1016
02 जुलाई	1022
03 जुलाई	1028
05 जुलाई	1033
06 जुलाई	1038
07 जुलाई	1043
08 जुलाई	1049
09 जुलाई	1054
10 जुलाई	1061

13 जुलाई	1066	13 जुलाई	1066
14 जुलाई	1074	14 जुलाई	1074
15 जुलाई	1082	15 जुलाई	1082
16 जुलाई	1089	16 जुलाई	1089
17 जुलाई	1097	17 जुलाई	1097
19 जुलाई	1004	19 जुलाई	1004
20 जुलाई	1111	20 जुलाई	1111

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

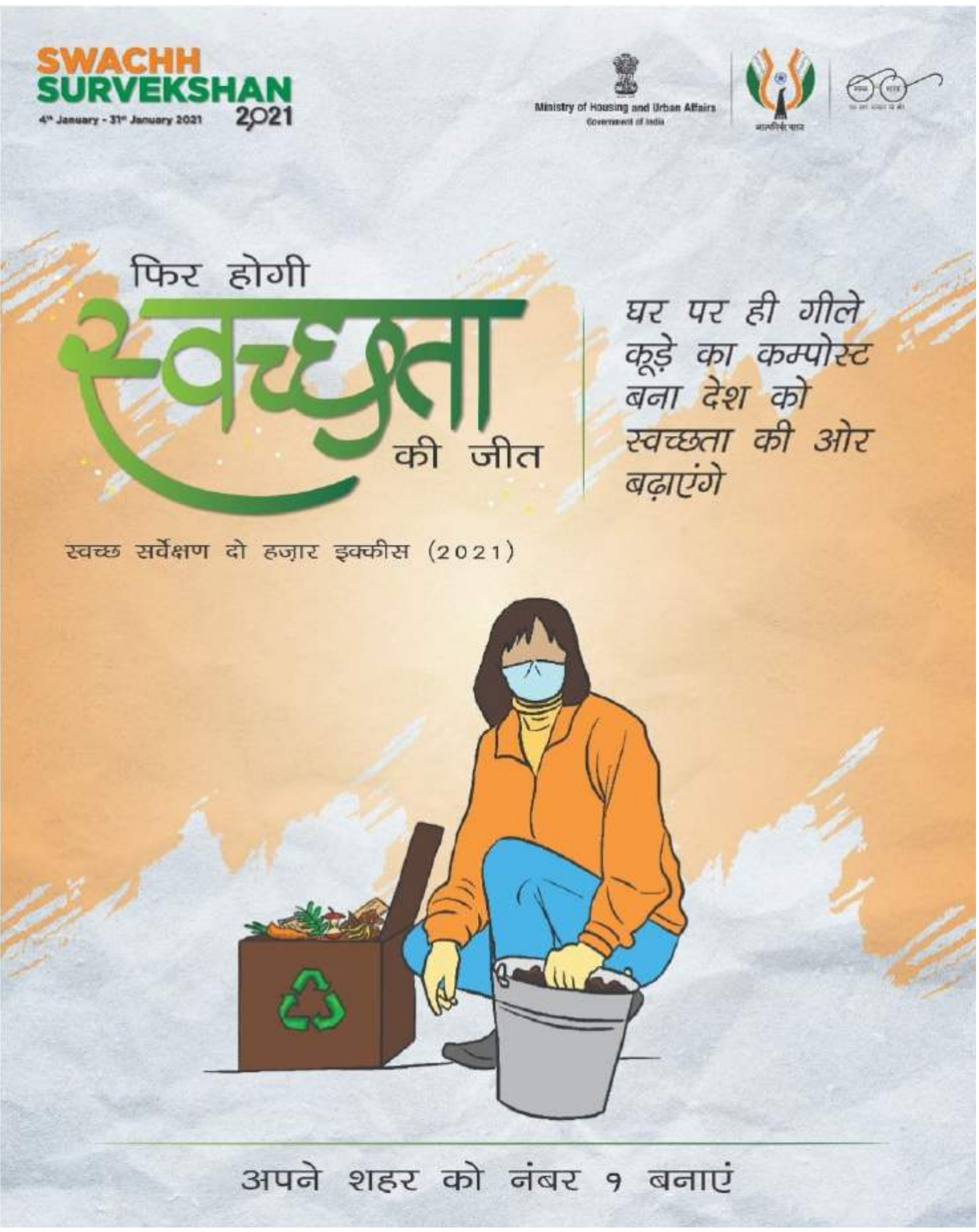

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये। प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से १०० प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

बगैर मास्क वाले 116 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

08 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क वाले 116 व्यक्तियों पर जुर्माना कर 11,600/- की राशि वसूल कर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने की चेतावनी दी गई

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

जुर्माने के रूप में 4000 की राशि वसूली

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

29 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 29 जुलाई को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर चेतन बुद्धेश्वर रोड पर १०००, दिलीप सिंह राठौर व जोगी माता जवाहर नगर पर ५००-५००, जानी बाई, चेतराम, दुर्गाबाई टीआईटी रोड, रमेश माली, दिलीप मित्र निवास रोड व हरमाला रोड पर ३ दुकानदारों पर २५०-२५० रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान द्वारा की गई।

दिनांक	गंदगी पर जर्माना
03 जुलाई	10 व्यक्तियों पर जुर्माना
05 जुलाई	19 व्यक्तियों पर जुर्माना
06 जुलाई	05 व्यक्तियों पर जुर्माना
09 जुलाई	12 व्यक्तियों पर जुर्माना
10 जुलाई	08 व्यक्तियों पर जुर्माना
12 जुलाई	19 व्यक्तियों पर जुर्माना

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 **को देकर नगर को साफ- स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।**

श्याम कबाड़ी पर 5000 का जुर्माना

14 जुलाई। दिलीप नगर क्षेत्र में श्याम कबाड़ी द्वारा गंदगी व अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने संबंधित पर 5000 का जुर्माना कर भविष्य में गंदगी व अतिक्रमण ना करने की समझाईश दी।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

झोन प्रभारी ड्रायवरों एवं हैल्परों की करेंगे उपस्थिति दर्ज

घर-घर से कचरा संग्रहण कार्य को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने ड्रायवरों एवं हैल्परों की उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु झोन प्रभारियों को अधिकृत किया है। झोन प्रभारी प्रात: 06:00 बजे वाहन विभाग (कर्मशाला) में उपस्थित होकर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपने-अपने झोन क्षेत्रों के समस्त कचरा संग्रहण वाहन निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थलों पर पंहूचे। इसके अलावा अपने-अपने क्षेत्रों के समस्त कचरा संग्रहण वाहनों के ड्रायवरों एवं हैल्परों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करेंगे।